फा.सं.ई-शासन/3/2024-ई-समन्वय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,
नई दिल्ली-110001
तारीख: 13.06.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में मई, 2024 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के मई, 2024 के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का मई, 2024 का मासिक सारांश।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

मई, 2024 के अंत में, लोक सभा के 675 आश्वासन और राज्य सभा के 661 आश्वासन लंबित थे।

- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण पर कार्यशाला**

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर 17 मई, 2024 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.05.2024 को लंबित मामले	336	101
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल मामले	336	101
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	023	010
माह के अंत में लंबित मामले	**313**	**091**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का परिणाम 29 मई, 2024 को घोषित किया गया। एम.एम. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया।

ख. मई, 2024 माह में, कुल 50 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया है। 3 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

मई, 2024 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

(क) असम नेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठक
असम विधानसभा में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के लिए 10 मई, 2024 को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की 13वीं बैठक बुलाई गई। समिति ने रू.14,91,58,600/- के परियोजना परिव्यय के साथ असम विधानसभा में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया।

(ख) सीएमएस पोर्टल, पब्लिक पोर्टल और आईओएस के लिए लेखापरीक्षण

सीएमएस पोर्टल, पब्लिक पोर्टल और आईओएस पब्लिक पोर्टल मोबाइल एप्लिकेशन का लेखापरीक्षण पूरा हो गया है, जिससे नेवा सॉफ्टवेयर सूट का और अधिक विस्तार हो रहा है।

(ग) पाठ अनुवाद हेतु भाषिणी और नेवा की भागीदारी

भाषिणी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा किए गए APIs की मदद से नेवा एप्लिकेशन के साथ सीएमएस मॉड्यूल, एलओबी मॉड्यूल और क्वेश्चन प्रोसेसिंग मॉड्यूल में टैक्स्ट-टू-टैक्स्ट अनुवाद सेवा सफलतापूर्वक शामिल कर ली गई है।

(घ) नेवा के माध्यम से लाइव राज्यों में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक

नेवा के माध्यम से पहले ही लाइव हो चुके राज्यों के विधानमंडलों में इस परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 22 मई, 2024 को एक आभासी बैठक आयोजित की गई। एप्लिकेशन पर पहले ही लाइव हो चुके 13 राज्य विधानमंडलों में अलावा ओडिशा विधानसभा ने भी बैठक में प्रतिभागिता की, जो एप्लिकेशन पर लाइव होने के अंतिम चरणों में है।

- **क्षमता निर्माण के उपाय**

(क) 20 मई, 2024 से 22 मई, 2024 के दौरान उत्तराखंड और मेघालय विधानसभाओं को नेवा मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) 28 मई, 2024 को आभासी माध्यम से मास्टर डाटा के अपडेशन संबंधी मामलों पर असम विधानमंडल को तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले
-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या
-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।
-शून्य-

5. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति
- इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

6. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टूल्स और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी
- लागू नहीं-

7. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति
- वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

8. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है
-शून्य-

9. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।
-शून्य-